

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:आर-65/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-16(गौतम0)/380

दिनांक: अक्टूबर 25 2016

सेवा में,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,

नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-06

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स विश लैण्ड बिल्डजोन प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-02/ए0-8,सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए0, बी0, व सी0, कामर्शियल एवं कम्प्यूनिटी) कुल-9 टावरों के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्ग किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2016/25123/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5851/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 16-10-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र के माध्यम से कर संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई समस्त आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- 1-प्रश्नगत भवन प्लॉट एरिया-50,560.00 वर्ग मी0 है।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-7,465.205 वर्ग मी0 है। प्रश्नगत पार्सल में प्रस्तावित टावरों का एरिया विवरण निम्नवत है:-

| क0स0 | नाम टावर        | तलों का विवरण             | संख्या | भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0। | टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0। | स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई मी0। | ऊँचाई मी0। |
|------|-----------------|---------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| 01   | टावर टाईप-ए0-7  | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 22 तल | 01     | 796.408                    | 775.445                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 76.80      |
| 02   | टावर टाईप-ए0-8  | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 18 तल | 01     | 796.408                    | 775.445                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 63.60      |
| 03   | टावर टाईप-ए0-9  | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 18 तल | 01     | 796.408                    | 775.445                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 63.60      |
| 04   | टावर टाईप-बी0-4 | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 22 तल | 01     | 734.074                    | 713.864                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 76.80      |
| 05   | टावर टाईप-बी0-5 | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 22 तल | 01     | 734.074                    | 713.864                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 76.80      |
| 06   | टावर टाईप-बी0-6 | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 22 तल | 01     | 734.074                    | 713.864                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 76.80      |
| 07   | टावर टाईप-सी0-1 | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 18 तल | 01     | 591.585                    | 588.116                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 63.60      |
| 08   | टावर टाईप-सी0-2 | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 18 तल | 01     | 591.585                    | 588.116                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 63.60      |
| 09   | टावर टाईप-सी0-3 | बेस0,पोडि0 भूतल एवं 18 तल | 01     | 591.585                    | 588.116                      | 02 अदद 01.50/01.25               | 63.60      |
| 10   | कामर्शियल       | भूतल                      | -      | 222.58                     | -                            | 01 अदद 01.50                     | 08.00      |
| 11   | कम्प्यूनिटी     | भूतल एवं प्रथम तल         | -      | 1099.04                    | 541.470/1096.492             | 02 अदद 01.50/01.25               | 11.95      |

बेसमेन्ट एरिया:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में एकल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसका बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-36,731.442 है। बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं के हेतु 45 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 18 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन में 02 अदद प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मी0 प्रत्येक मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-12.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में उपरोक्त तालिका के अनुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट में 02 रैम्प प्रविधानित है तथा प्रस्तावित निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है, इण्टरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.

(अरविन्द कुमार)  
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस  
उ0प्र0 लखनऊ



9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित/वाँछनीय है।

2-भूमिगत:-प्रश्नगत परिसर में अग्निशमन कार्य हेतु 2,75,000 दो लाख पिछत्तर हजार लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

3-पम्पस:- प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानक के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित/वाँछनीय है। जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

4-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

6-गार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिंग लाइन एवं उस पर गार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानक के अनुसार वाँछनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों के समस्त तलों पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानक के अनुसार वाँछनीय है।

8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- भवन के समस्त टावरों में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित/वाँछनीय है।

9-मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार वाँछनीय है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

13-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

15-प्रेशराइजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराइजेशन एनबी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानक का पालन अनिवार्य होगा।

17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स विश लैण्ड बिल्डजोन प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-02/ए0-8,सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए0,ए0,बी0,बी0,बी0,सी0,सी0,सी0, कामर्शियल एवं कम्प्यूनिटी) कुल-9 टावरों के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वतः किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानक के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस

उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स विश लैण्ड बिल्डजोन प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-02/ए0-8,सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।